



खान मंत्रालय

श्री पीयूष गोयल ने खनन परिचालनों के लिए पारदर्शी तरीके से वैधानिक मंजूरी सुनिश्चित करने हेतु ताम्र (टीएमआरए) पोर्टल और मोबाइल एप लांच किया

Posted On: 15 FEB 2017 8:26PM by PIB Delhi

केन्द्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने आज यहां पारदर्शिता, नीलामी निगरानी एवं संसाधन संवर्धन (ताम्र, टीएमआरए) पोर्टल और मोबाइल एप की लांचिंग के लिए आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिसे खान मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसे 12 खनिज समृद्ध राज्यों में एक साथ लांच किया गया। श्री गोयल ने यह महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि सरकार 100 चिन्हित अपतटीय खनिज ब्लॉकों के लिए खोज एवं खनन लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खनन नियमों में जल्द ही संशोधन करने पर विचार कर रही है।

‘ताम्र’ की खूबियों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए श्री गोयल ने कहा कि खनन क्षेत्र में कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के एक हिस्से के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ‘ताम्र’ भारत में खनन गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है और इससे समस्त हितधारकों को खनन ब्लॉकों से जुड़ी वैधानिक मंजूरीयों की ताजा स्थिति को जानने में मदद मिलेगी। यह वैधानिक एवं अन्य मंजूरीयों की समयसीमा को कम करने की दिशा में सभी हितधारकों के लिए एक परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि इससे उत्पादन शुरू होने से पहले लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी।

‘ताम्र’ की खासियतों का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि किसी मंजूरी की प्राप्ति में देरी होने की स्थिति में ‘ताम्र’ संबंधित प्राधिकरण को सक्रिय करने वाला संदेश (ट्रिगर) भेजेगा, ताकि इसके लिए जवाबदेह माने जाने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा तत्काल सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें।

इससे पहले खान सचिव श्री बलविंदर कुमार ने अपने संबोधन में यह जानकारी दी कि ‘ताम्र’ नीलाम की जाने वाली खदानों की ब्लॉक-वार, राज्य-वार एवं खनिज-वार सूचनाओं को कवर करता है, विभिन्न वैधानिक मंजूरीयों पर नजर रखता है और ई-नीलामी के जरिये हासिल किये गये अतिरिक्त संसाधनों पर प्रकाश डालता है।

‘ताम्र’ का प्रवाह संचित्र (फ्लोचार्ट) कुछ इस तरह से है:

वीके/आरआरएस/वीके - 422

(Release ID: 1482826) Visitor Counter : 13

